भा. कृ. अनु. प.-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003

मिसिल संख्या : 15(6)2020-21/प्रशासन चतुर्थ / 354 दिनांक : 03.11.2021

3 NOV 2021

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के यह संज्ञान में आया है कि संस्थान की आवासीय कॉलोनी में आवास आवंटित कर्मचारी/अधिकारी आवंटित आवास में अपनी सुविधानुसार नियम विरूद्ध बदलाव करवा लेते हैं । सक्षम प्राधिकारी ने इस कृत्य को गम्भीरता से लिया है । भविष्य में ऐसा करने से बचा जाना चाहिए अन्यथा नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी । इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि जब कभी कार्यालय द्वारा आवास आवंटित (नया अथवा बदलाव) होता है तो संबंधित आवास आवंटित कर्मचारी/अधिकारी उस आवास के रंग रोगन तथा मरम्मत कार्यों के लिए प्रायः आवेदन करते रहते हैं इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वह कर्मचारी/अधिकारी जो आवास खाली करते हैं क्या वे ऐसी कमियों के साथ निवास कर रहे थे । अतः इस संबंध में यह निश्चित किया गया है कि आवास खाली होने पर आवास खाली करने वाले कर्मचारी/अधिकारी उस आवासीय कुवार्टर के ताले की चाबी प्रशासन चतुर्थ में सुपुर्द करने से पूर्व अनुरक्षण अनुभाग के संबंधित अधिकारी तथा श्री वासुदेव गोदियाल, सहायक को संयुक्त रूप से खाली किये गए आवास का निरीक्षण कराऐंगें । इस संबंध में ये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी खाली किये गए आवास का निरीक्षण करते हुए आवश्यक रंग रोगन मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता है अथवा नही को नोट करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे । उक्त आवास ठीक होने की स्थिति में अगले आवंटन के लिए प्रस्ताव पत्र मिसिल पर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना है । आवास आवंटन की समय सीमा की भी सख्ती से पालना अनिवार्य है ।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है ।

03/11/2021

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ